

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JAIPUR, राजस्थान

क्रमांक: DEOCHA) Sec | JPR | L-5 | 2025-26 | 1692

दिनांक 25-04-2025

सचिव

प्रबंध समिति

ALPHA BETA SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता क्रमोन्नति एवं अन्य हेतु प्रमाणपत्र।


आपके आवेदन पत्र क्रमांक 51846 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, ALPHA BETA SCHOOL पता 16 SEC PRATAP NAGAR SANGANER ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय SANGANER CITY (Greater Jaipur) ब्लॉक SANGANER CITY (U) आसा पास (पूर्व -पश्चिम, उत्तर दक्षिण) 618 खसरा न. 617 को शैक्षणिक सत्र 2025-26 से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार मान्यता मंजूर करता हूँ :-

नाम परिवर्तन के लिए विवरण	
पूर्व मान्यता के अनुसार विद्यालय का नाम	ALPHA BETA SCHOOL
स्वीकृत नवीन नाम	MOUNT LITERA ZEE SCHOOL

- विद्यालय के नवीन मान्यता / क्रमोन्नति के आवेदनों के सम्बन्ध में भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही विद्यालय द्वारा स्वयं के स्तर पर की जावेगी। शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में संस्था संचालक की जिम्मेवारी होगी कि जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है, वहां स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय आदि) से स्वयं नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही विद्यालय का संचालन करें।
- विद्यालय, राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- राज्य सरकार/विभाग द्वारा समयसमय पर प्रसारित नियमों/आदेशों/निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर अथवा विभागीय निरीक्षण के समय विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) मय किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
- विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्रप्ति के बाद विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा।
- विद्यालय का नाम/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
- विद्यालय को दी जा रही मान्यता के अनुसार उसी सत्र में कक्षाएँ प्रारम्भ करनी होंगी, मान्यता के अनुसार उस सत्र में कक्षाएँ संचालित नहीं होने पर मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
- माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति होने पर मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 9 के साथ कक्षा 10/कक्षा 11 के साथ कक्षा 12 उसी स्थिति में चलाई जा सकती है, जब इसकी स्वीकृति मान्यता प्रमाणपत्र में दी गई हो।
- गैर सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीडन नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत विद्यालय के नाम में इंटरनेशनल, इण्डियन, नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना/सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः विद्यालयों नाम में इनका प्रयोग नहीं किया


कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक JAIPUR , राजस्थान

जावे, यदि विद्यालय के नाम में उक्त का अंकन है तो संस्था/विद्यालय को नाम परिवर्तन हेतु आगामी सत्र में आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।


जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
मुख्यालय माध्यमिक
माध्यमिक जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. स्थानीय प्राधिकारी एजेन्सी (ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद्, विकास प्राधिकरण, विकास न्यास, तहसीलदार कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय, हाउसिंग बोर्ड, आदि) को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि संस्था / विद्यालय भूमि के भूरूपान्तरण के सम्बन्ध में प्रचलित विभागीय शर्तों का स्वयं के स्तर पर परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करें।
5. रक्षित पत्रावली।


जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक (मुख्यालय)
माध्यमिक जयपुर

NO : CBSE/1730356/CN-00049-2627/2026-27

Dated:
14/07/2025

The Manager,
Mount Litera Zee School
SECTOR-16 PRATAP NAGAR, SANGANER JAIPUR
RAJASTHAN, JAIPUR, 303906
(M: 0141-2173305)

Subject :- REQUEST FOR CHANGE OF NAME OF THE SCHOOL AND SOCIETY/TRUST/COMPANY-Regarding

Ref : Application No. : - CN-00049-2627, Dated: 22/02/2025.

Sir/Madam,

This is with reference to school application No.-CN-00049-2627, dt.22/02/2025 on the subject cited above.

In this connection, I am directed to convey approval of the Board for change in school/Trust name as per the details mentioned below on the basis of permission granted by the State Education Department and supporting documents submitted by the school.

Category	From	To
Change of name of School	ALPHA BETA SCHOOL (Old)	Mount Litera Zee School (New)
Change of name of Society/Trust/Company	helix educational society (Old)	Alpha Beta Shiksha Samiti (New)

Sl. No.	GENERAL CONDITIONS
1	The approval is based upon the documents /data/information uploaded by the school online. The Manager and Principal of the school shall be held responsible for its genuineness. In case of any document found to be fake/forged/fabricated/tampered, the application of the school is liable to be rejected and the school shall be liable for imposition of any of the penalties and necessary action will be initiated against the school as deemed fit, under clause 10.1.16 of Affiliation Bye Laws, 2018.
2	The school is required to renew Building Safety and Fire Safety certificates on regular basis.
3	The school will not run any branch or part of school with old school name and will not use its old school name in any manner in future.
4	In case of land documents are presently in the old name of school, the school will be required to submit revised land documents in favor of revised name of school/society/trust/company within one month.
5	The approval is subject to final outcome of pending legal case/ litigation and any other issues arising out of change of name of school and Board shall not be responsible for any dispute/legal issue arising out of change of name of school.

6	The Board reserves the right to conduct inspection of school as per clause 11.2 and 11.4 of Affiliation Bye Laws.
7	The school may make provision to establish rain water harvesting system in their school premises as per Board's circular no. CBSE/AFF./AC/RWH/2025 dated 24.03.2025.
“The school shall possess valid Fire Safety certificate, Building safety certificate and Water and Sanitation Certificate along with other essential documents during functioning of the school which shall be renewed from time to time as per norms”.	
8	<p>1. The permission to change the name of the school is subject to the validity of documents related to land ownership and other documents and clearances from the State/UT Govt. 2. School must require to follow the guidelines of Affiliation Bye-Laws 2018. 3. The School is directed to ensure that all essential valid documents are available under the head Mandatory Public Disclosure (as per annexure-IX) on school's website at all time and the link of certificates should be remain functional. 4. As per the recommendation of NEP, the school shall ensure the participation of its students in the Structured Assessment for Analyzing Learning (SAFAL), an exam conducted by the Board every year. This exam, designed to assess and enhance students' learning, is a valuable initiative for their holistic development, as per the guidelines issued by the Board vide circular no: Acad-49/2024 dated 26 June 2024. 5. The school shall ensure the Holistic Progress Card (HPC) is used for the foundational stage according to the guidelines issued by the Board via notification no. CBSE/Director (Acad.-Assessment)/2023 dated 27.12.2023. 6. The school shall ensure that all teachers undergo at least 50 hours of Continuous Professional Development (CPD) every year, vide notification no. 16/2021 dated 24.09.2023, out of which 25 hours should be from COE . 7. The school shall submit an undertaking to upload all requisite information regarding students, teachers, and infrastructure details available in the school on the UDISE and OASIS Portals. The registration of the students in classes IX and XI shall be conditional on the school providing complete information on the UDISE and OASIS Portals.</p>

DEPUTY SECRETARY/JOINT SECRETARY/DIRECTOR (AFF.)